न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 68 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

चतरसिंह पिता विजयसिंह, जाति राजपूत चौहान, निवासी झालों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, निवासी मारूवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. बाबूसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, निवासी मारूवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. चतरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, निवासी मारूवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, निवासी मारूवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. मु. सोहनबाई बेवा नाथूसिंह राजपूत, निवासी मारूवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. जगदीश पिता उमाशंकर मेनारिया, निवासी चीरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. मदन पिता धनलाल मेनारिया, निवासी चीरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 30.04.2018, प्र.सं. 199 / 17

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1— श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 22—11—2018</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मारूवास में वाद की कलम संख्या 1 स्थिति कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 22—06—1986 को अन्य आराजियात के साथ वादी को विक्रय कर कब्जा सौप दिया एवं वादी के पक्ष में लिखा—पढ़ी कर दी, तब से उक्त आराजियात पर वादी का कब्जा चला आ रहा है, परन्तु लिखा—पढ़ी के 6 दिन पहले ही प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता नाथूसिंह की मृत्यु हो जाने से विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने चुपके—चुपके अपने नाम खुलवा लिया तथा गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगणों ने अन्य प्रतिवादीगणों को अलग—अलग दिनांकों को भूमियों का विक्रय कर दिया, जो वादी के मुकाबले बेअसर व शून्य है। अतएवं वादी को उक्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों को बेअसर व शून्य घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा एक कोरे काजग की फर्जी लिखा—पढ़ी के आधार पर किया गया है, जिसके आधार पर आप न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वादी का वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत विधि वर्जित है। अतएवं वाद वादी खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा वाद किसी भी प्रावधान के तहत विधि वर्जित नहीं है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान अनुसार वाद की प्लीडिंग के आधार पर ही दावे को देखा जाना चाहिए। प्रतिवादीगण

को जो आपत्तियां उठानी हैं वह जवाबदावे में उठानी चाहिऐ। वादी का वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर ही है, जो साक्ष्य से तय होगा।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26—06—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री अर्जुनलाल मेनारिया उपस्थित हुए, परन्तु वक्त अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के वर्णित तथ्यों को ही वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण को निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रकरण के तथ्यों को देखना चाहिए था। प्रतिकूल कब्जे का बिन्दु साक्ष्य का मिश्रित बिन्दु है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दी जानी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस निर्णय का जिक्र किया है वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद विधि वर्जित नहीं है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो पाया कि वादी/अपीलान्ट द्वारा अपना वाद 2 आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। पहला खाम कागज पर लिखा—पढ़ी तथा दूसरा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है। प्रकरण में वस्तु स्थिति यह

है कि किसी इकरारनामे अथवा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती तथा विधिक स्थिति भी इस प्रकार है कि ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज जिसे इकरारनामा कहा जाता है, उस पर राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त वाद विधि वर्जित है।

प्रकरण में जहां तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने पूर्ण पीठ के निर्णय दिनांक 30–08–2018 से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी नहीं दिये जाने का अभिमत व्यक्त किया है। प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जाने के किसी प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने का कथन अपीलान्ट ने वर्णित किया है, परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि किस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा खातेदारी प्राप्त करने के लिए जो दो आधार लिये हैं वह दोनों आधार विधि वर्जित होने से अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादी का वाद विधि विरूद्ध होना मानकर जो निर्णय पारित किया है हम उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

चतरसिंह पिता विजयसिंह राजपूत चौहान निवाीस झालों का गुड़ा, तहसील बंड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी मारूवास, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰...........**68/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**मावली**.......... मुकाम................मुवर्खे...........**30**..............माह.............**04**............**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**22**.....माह........**11**.......सन् **2018** रूबरू......**पक्षकारान**
व हाजरी.......**श्री कमलेश चौहान**.......मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री पंकज भटनागर**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30—04—2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**22**......माह.......**11**..........**2018**
को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।